प्रेषक,

मनोज कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
Email-shome.g8@up.gov.in

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन,
उ0प्र0, लखनऊ।
Email-eowhq@up.nic.in

गृह (गोपन) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2025

विषयः पूर्व विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव/ दवा व्यवसायी के फर्मों द्वारा लगभग 37 जनपदों में कार्य करते हुए की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर में 500 बेड का अस्पताल बनवाने की जॉच ई0ओ0डब्लू0 से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 04.09.2024 (छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्व विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव/ दवा व्यवसायी के फर्मों द्वारा लगभग 37 जनपदों में कार्य करते हुए की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रकरण में जांचोपरांत विधिसम्मत कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत ई0ओ0डब्लू0 से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव/ दवा व्यवसायी के फर्मों द्वारा लगभग 37 जनपदों में कार्य करते हुए की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर में 500 बेड का अस्पताल बनवाने की जॉच 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराकर जांच-आख्या 03 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
MANOJ KUMAR PANDEY
Date: 02-06-2025
17:04:32

(मनोज कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-

प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज ई0ओ0डब्लू0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु **नोडल अधिकारी(नाम,पदनाम,मोबाइल नम्बर एवं कार्यालय तथा आवासीय पता अंकित कर)** नामित करते हुए तद्सार जांच एजेंसी एवं गोपन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।